

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा में निम्नांकित प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) जो कि निलंबन उपरान्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर में उपस्थित रहे हैं, का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का निर्वाह भत्ता निर्देशानुसार कॉलम संख्या-4 में अंकित विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। संबंधित प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) के कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि में अनियोजित रहने संबंधित पूर्ण जाँच किये बिना, कार्मिक का निर्वाह भत्ता आहरित नहीं किया जावे।

क.स	प्राध्यापक नाम मय विषय एवं पदस्थापन	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां निर्वाह भत्ता आहरित किया जाना है	पद जिससे निर्वाह भत्ता आहरित किया जाना है।
1	2	3	4	5
1	श्री कैलाश चन्द मीना व्याख्याता (निलंबित) अंग्रेजी, मुख्यालय-संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर	18 फरवरी 2022 से लगातार	राउमावि,भदरिया-जैसलमेर (08160219802)	व्याख्याता अंग्रेजी के रिक्त पद से।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 30-7-2023

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था-1/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/निर्वाह-भत्ता/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)कार्यालय।
3. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
7. रोकड अनुभाग
8. संबंधित कार्मिक
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.07.30 06:57:11 IST
Reason: Approved